

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक एफ 2(6579)डीओआईटी/संस्था/1/2/34437/2015

जयपुर, दिनांक
03/07/2015

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 21 के प्रावधानान्तर्गत परीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षाधीन अवधि में शिड्यूल -IV में वर्णित अनुसार एकमुश्त पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) वेतन नियम 2008 के शिड्यूल -IV (Rule-21) के अन्तर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना प. 14(1)वित्त(नियम)/2013Pt. दिनांक 8.06.2015 के द्वारा संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग में निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित परीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के Fixed Remuneration में तदनुसार संशोधन करते हुए दिनांक 01.07.2015 से निम्नानुसार कॉलम सं. -4 के अनुसार वेतन भुगतान किये जाने की स्वीकृति जारी की जाती है :-

S.NO. 1	NAME OF POST 2	PRESENT FIX PAY 3	REVISED FIX PAY (w.e.f. 01-07-2015) 4
1.	ANALYST CUM PROGRAMMER (DY.DIRECTOR) (15600-39100 (6600))	24240/-	26670/-
2.	PROGRAMMER (9300-34800 (4800))	15660/-	17230/-
3.	INFORMATICS ASSISTANT (5200-20200 (2800))	10740/-	11820/-

(ए.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी
2. लेखा शाखा (दो प्रतियां)।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रगति आधिकारिक वेबसाइट

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव